रमेश कुमार सुथार जोद बनाम उपखंड अधिकारी भीनमाल
प्रकरण संख्या 11/2018

24.04.2018 अपीलांट व राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल का जवाब प्राप्त हुआ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल ने जवाब में कथन किया कि आवेदित सूचना बाबत अपीलांट का आवेदन पत्र 19.02.2018 को प्राप्त हुआ। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में अपीलांट को जरिये पत्रांक/2542 दिनांक 16.03.2018 के द्वारा 05 पृष्ठो के 10/- रूपये जमा कराने हेतु लिखा गया। अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाने के कारण आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 35 एफ 863959 के संलग्न अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2018 जो कि रेस्पोडैन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में 19.02.2018 को प्राप्त होना अवगत करवाया है। अपीलांट द्वारा अपने उक्त आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबध में राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल के द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना हेतु जरिये पत्रांक/2542 दिनांक 16.03.2018 के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु लिखा जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाने पर आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत दिनांक 10.02.2018 जो कि रेस्पोडैन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में 19.02.2018 को प्राप्त होना अवगत करवाया है, के तहत सूचना हेतु वांछित दस्तावेजो के पेटे राशि जमा कराने हेतु अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये पत्रांक/2542 दिनांक 16.03.2018 के द्वारा सूचित किया गया होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 6(1) का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद की श्रेणी में लंबित है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार Pre-mature प्रस्तुत होने से श्रवण योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर फैसल शुमार की जाती है।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

सही
(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)जालोर